(38)

दिनांक– 13.07.2022 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा अरवल में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य की जिला समाहरणालय, अरवल एवं अरवल, शिविर संख्या– 01 एवं 02, पंचायत सरकार भवन, फखरपुर में की गई शिविर स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेश।

दिनांक– 13.07.2022 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा अरवल जिले के समाहरणालय तथा पंचायत भवन, फखरपुर में निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना, प्रभारी पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, अरवल, बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल, अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल, श्री अशोक कुमार शर्मा, नोडल पदाधिकारी, अरवल, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) की उपस्थिति में अरवल के सभी अंचल अधिकारी, सभी शिविर प्रभारी एवं कानूनगो के साथ अरवल जिले में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत है:–
समीक्षा के क्रम में अरवल जिले में विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति निम्नवत पाई गई:–

कुल अंचलों की संख्या	कुल शिविरों की संख्या	कुल कार्यरत मौजों की संख्या	ग्राम सीमा सत्यापित मौजों की संख्या	किस्तवार संपन्न मौजों की संख्या	खानापुरी संपन्न मौजों की संख्या	एल0पी0एम0 वितरित राजस्व ग्रामों की संख्या	प्रारूप प्रकाशित राजस्व ग्रामों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
05	13	314	314	72	05	02	–

(i) <u>अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र की समीक्षा</u>:– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि अरवल जिले के कुल 335 राजस्व ग्रामों में अधिसूचित क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले 21 राजस्व ग्रामों को छोड़कर 314 राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इनमें 26 राजस्व ग्रामों का खतियान एवं 21 ग्रामों का मानचित्र अनुपलब्ध है। यह भी बताया गया कि चूंकि अरवल जिला पूर्व में जहानाबाद एवं उसके पूर्व गया जिला अन्तर्गत था, इसलिए गया एवं जहानाबाद के जिला अभिलेखागार एवं बन्दोबस्त कार्यालय में खतियान एवं मानचित्र को प्राप्त करने का प्रयास किया गया, किन्तु खतियान प्राप्त नहीं हो सके।

निदेशित किया गया कि गया एवं जहानाबाद में विगत रिविजनल सर्वे के Not Final खतियान अथवा रिविजनल सर्वेक्षण की प्रक्रिया में संधारित अभिलेखों में संलग्न कागजातों में कैडेस्ट्रल सर्वे के तेरीज एवं अन्य कागजातों के बन्दोबस्त कार्यालय के पुराने अभिलेखों में खोजा जाए एवं उनके आधार पर अनुपलब्ध खतियान एवं मानचित्र प्राप्त कर उनके आधार पर अथवा प्राप्त कागजातों के आधार पर विशेष सर्वेक्षण की कार्रवाई की जाए। इसी तरह यदि रिविजनल सर्वे का Not Final मानचित्र भी मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

(ii) <u>हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यों की समीक्षा</u>:– बैठक में अरवल जिले में कार्यरत हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0 द्वारा प्रक्रमवार अपडेट कर आपूर्ति किए जाने वाले मानचित्रों एवं कार्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत् पाया गया:–

ग्राम सीमा सत्यापन उपरान्त एजेंसी को उपलब्ध कराए गए मानचित्रों की संख्या	एजेंसी से किस्तवार हेतु प्राप्त मानचित्रों की संख्या	किस्तवार संपन्न कर एजेंसी को उपलब्ध कराए गए मानचित्रों की संख्या	एजेंसी द्वारा खानापुरी हेतु दिए गए राजस्व ग्रामों की संख्या	खानापुरी पूर्ण कर एजेंसी को दिए गए मानचित्रों की संख्या
312	84	72	17	05

समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के पास लगभग सभी प्रक्रमों में मानचित्र लंबित हैं, जिस कारण किस्तवार एवं खानापुरी का कार्य बाधित हो रहा हैं।

निदेशित किया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा दिनांक– 15.07.2022 से प्रतिदिन 10 से 15 मानचित्र अपडेट कर शिविर कार्यालयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि यदि किसी ग्राम के मानचित्र में शीटों की संख्या अधिक हो तो संपूर्ण ग्राम के मानचित्र के अपडेट होने के इंतजार न करके शीटवार अपडेटेड मानचित्र शिविर कार्यालयों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। शिविर प्रभारियों को निदेशित किया गया कि हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को अपेक्षाकृत कम खेसरे वाले राजस्व ग्रामों की सूची उपलब्ध कराई जाए एवं इस आधार पर एजेंसी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उन ग्रामों का अपडेटेड मानचित्र उपलब्ध कराया जाए। बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल को निदेशित किया गया कि सभी शिविर के कर्मियों का Work Flow इस प्रकार निर्धारित किया जाए ताकि प्रत्येक अमीन के पास किसी न किसी प्रक्रम का मानचित्र उपलब्ध रहे। साथ ही जिलास्तरीय समीक्षा करके जिन कर्मियों द्वारा जिन ग्रामों का खानापुरी कार्य संपन्न किया जा चुका है और अपडेटेड मानचित्र प्राप्त होने पर किस्तवार, खानापुरी एवं प्रारूप प्रकाशन शीघ्रता से किया जा सकता है, वैसे ग्रामों की सूची हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाए एवं किस्तवार तथा खानापुरी के कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाए।

सभी शिविरों की ग्रामवार समीक्षा उपरान्त निदेशित किया गया कि जिन ग्रामों में SS खेसरों की संख्या 1500 या उससे कम है, वहाँ का प्रारूप प्रकाशन 01 माह के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) <u>सरकारी भूमि संबंधी समीक्षा</u>:– बैठक में उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं शिविर प्रभारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अंचल स्तर से सभी प्रकार की सरकारी भूमि संबंधी विवरणी प्राप्त नहीं हुई है। जिस कारण अधिकार अभिलेख निर्माण में कमी आ रही है। साथ ही यह भी बताया गया कि सभी सरकारी विभागों द्वारा भूमि की विवरणी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि सभी अंचलों एवं विशेष सर्वेक्षण शिविरों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए सभी प्रकार के सरकारी भूमि की विवरणी शिविरों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही सरकारी विभागवार समीक्षा कर जिन विभागों के भूमि की विवरणी प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें यथाशीघ्र भूमि की विवरणी उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाए। यह भी बताया गया कि संपूर्ण अरवल जिले में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य चल रहा है और कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जिलों के समस्त भूमि का अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र तैयार हो जाने के पश्चात् यदि कोई सरकारी भूमि रैयतों के खाते में दर्ज हो जाते है तो सरकार को अनेक विपरित परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः इस विषय को गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है।

(iv) <u>सरकारी भूमि संबंधी समीक्षा</u>:– बैठक में उपस्थित बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं शिविर प्रभारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सभी अंचलों से सरकारी भूमि एवं बन्दोबस्त की गई भूमि इत्यादि की विवरणी सभी शिविरों को प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरह जिला में अवस्थित सभी सरकारी विभागों द्वारा अपने–अपने विभाग भूमि की विवरणी उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के क्रम में ग्रामों के आवासीय क्षेत्र में अनेक रैयत गैर–मजरूआ मालिक भूमि पर निवास कर रहे है और याद्दाश्त पंजी के संधारण के क्रम में उनके द्वारा भूमि सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

बैठक में उपस्थित अपर समाहर्त्ता, अरवल एवं सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अंचल स्तर से सरकारी भूमि, बन्दोबस्त की गई भूमि इत्यादि की विवरणी यथाशीघ्र विशेष सर्वेक्षण शिविरों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया के खानापुरी प्रक्रम में वैसे रैयत जो सरकारी भूमि पर निवास कर रहे है, उनकी सूची तैयार कर अंचलों को उपलब्ध कराया जाए। अंचल स्तर से इस प्रकार के रैयतों की जाँच कर नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए रैयतों के साथ बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जाए। जिन अंचलों से सरकारी भूमि इत्यादि की विवरणी प्राप्त नहीं होती है, उनकी सूची बन्दोबस्त पदाधिकारी के माध्यम से भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

<u>विशेष सर्वेक्षण शिविर, अरवल–1 एवं 2 का निरीक्षण</u>

जिलास्तरीय बैठक के उपरांत अरवल अंचल के पंचायत सरकार भवन, फखरपुर में स्थित विशेष सर्वेक्षण शिविर, अरवल–1 एवं 2 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में ग्रामवार/अमीनवार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन एवं दिए गए निदेश निम्नवत् हैः–

बैठक में उपस्थित विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि रैयतों द्वारा खानापुरी प्रक्रम में स्वामित्व संबंधी कागजात उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण कार्य में कठिनाई आ रही है। अनेक रैयतों के गैर–मजरूआ मालिक भूमि पर निवास करने के कारण उनके स्वामित्व निर्धारण में समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया कि कुछ रैयतों द्वारा खतियानी भूमि के संबंध में वर्त्तमान परिस्थिति के अनुसार इत्यादि के कागजात उपलब्ध नहीं कराए जाते है एवं एकल खाता खोलने की मांग की जाती है।

समीक्षोपरांत निदेश दिया गया कि जिन रैयतों द्वारा स्वामित्व संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, उनके संबंध में अंचल अधिकारियों से स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए कि उक्त भूमि का जमाबंदी या बन्दोबस्ती इत्यादि है या अथवा नहीं। वैसे रैयत जो सरकारी भूमि पर आवास बनाकर रह रहे है, उनकी सूची ग्रामवार तैयार कर अंचल अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए। अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि शिविर स्तर से प्राप्त इस तरह की सूची जाँच कर वास कर रहे रैयतों में जो सुयोग्य श्रेणी को हो, उनकी भूमि बंदोबस्ती का प्रस्ताव अग्रसारित किया जाए। खानापुरी के क्रम में जिन खेसरों पर विवाद हो उनमें रैयतों द्वारा यदि बंटवारा के स्पष्ट कागजात उपलब्ध नहीं कराए जाए तो संयुक्त खाता खोलने की कार्रवाई की जाए। यह भी निदेशित किया गया कि प्रत्येक ग्राम में कुल कितने खेसरों के संबंध में विवाद है एवं कुल कितनी भूमि सरकारी है, इसका ऑकड़ा तैयार कर जिला बन्दोबस्त कार्यालय को अलग से उपलब्ध कराया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0– 10/2022......2048...... **पटना, दिनांकः** 22/8/2022

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल/अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, अरवल/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अरवल/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), अरवल /सभी शिविर प्रभारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0– 10/2022......2048...... **पटना, दिनांकः** 22/8/2022

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/श्री अशोक कुमार शर्मा, स0ब0प0–सह–नोडल पदाधिकारी, अरवल/प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/प्रभारी, आई0टी0 सेल, बिहार, भू–अभिलेख एवं परिमाप पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0– 10/2022......2048...... **पटना, दिनांकः** 22/8/2022

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 03/भू0अ0नि0 (04) वि0 सर्वे0– 10/2022......2048...... **पटना, दिनांकः** 22/8/2022

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप